जे.पी.आर.5– 876

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
*कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005*
*फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803*
*ईमेल – se_comml@yahoo.in, secomml@jvvnl.in*

क0 जेपीडी/अधी.अ..(वा.)/सी–।/एफ. /प्रे0 916 जयपुर, दिनांक– 20.07.2017

# आदेश

विषयः– **Loss Reduction Programme** में किये गये कार्य की समीक्षा उपरान्त कार्यवाही के सम्बन्ध में।

स्थायी आदेश संख्या 16/01 दिनांक 20.06.2016 के द्वारा **Loss Reduction Programme** का कार्य दिसम्बर, 2017 तक 3 चरणों में पूर्ण किये जाने एवं इस सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण फीडर पर फीडर इन्चार्ज को नियुक्त किया जाना था।

इस संदर्भ में दिनांक 30.06.2017 को आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में चर्चा की गई एवं यह निर्णय लिया गया कि किसी भी फीडर पर **Loss Reduction Programme** का कार्य पूरा होने के पश्चात् एवं सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज द्वारा यह घोषित करने के उपरान्त कि इस फीडर पर ट्रांसफार्मर की रीकंडीशनिंग का कार्य पूर्ण हो गया है के बाद भी यदि किसी ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाती है तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगीः–

1. ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाने पर प्राथमिक जिम्मेदारी फीडर इन्चार्ज की होगी। फीडर इन्चार्ज इस सम्बन्ध में सूचना सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को अधिकतम 3 दिवस में देगा एवं कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत अधिनियम–2003 के धारा 138 के अन्तर्गत वी.सी.आर. भरकर मुकदमा दर्ज करवाने की कार्यवाही करेगा। यदि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उक्त मामले में कोई कार्यवाही नही की जाती है तो इसके लिये वह जिम्मेदार होगा।
2. यदि फीडर इन्चार्ज द्वारा ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटने से सम्बन्धित सूचना कनिष्ठ अभियन्ता को नही दी जाती है एवं कनिष्ठ अभियन्ता/सतर्कता दल द्वारा जाँच के दौरान ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी हुई पायी जाती है तो सम्बन्धित फीडर इन्चार्ज दोषी माना जायेगा व उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग टूटी पाये जाने पर खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये 72 घंटे की समय सीमा लागू नही होगी। ऐसे मामलों में ट्रांसफार्मर कानूनी प्रक्रिया के तहत् बदले जावेंगे।

सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR